

कानपुर देहात विकास प्राधिकरण में दि० 23-6-2006 को सम्मिलित ग्रामों की सूची

क्र०सं०	नाम	ग्राम
1-	अकबरपुर	
2-	अन्वै	
3-	आलमपन्नापुर	
4-	आधुक्कापुर	
5-	आलपुर	उत्तर
6-	कटरा पैमा	
7-	कन्धियाँ	
8-	कटका	
9-	आनवन्तपुर	
10-	धारापुर	
11-	धिरौरा	
12-	जयालपुर	
13-	जयालपुर नाकि	
14-	जेनपुर	
15-	जौलपुर	
16-	जंगलपुर	
17-	कटका	
18-	धन्वुआ	
19-	निहदा	
20-	नागिनजली	
21-	नसरतपुर मुंयौरा	
22-	पातपुर	
23-	प्रसिधपुर भाँद	
24-	फतेहपुर म्भरा निहदा	
25-	फतेहपुर रोचनाई	
26-	बारा	
27-	बाहरवाड़ा	
28-	बलौली	
29-	बनार	
30-	बनारपुर	
31-	बनारपुर	
32-	बनारपुर	
33-	बनारपुर	
34-	बनारपुर	
35-	बनारपुर	
36-	बनारपुर	
37-	बनारपुर	
38-	बनारपुर	
39-	बनारपुर	
40-	बनारपुर	
41-	संगौलपुर	
42-	मुन्नापुरा बाय बरका	
43-	मुन्नापुरा नादा	
44-	रनियाँ	
45-	राखुर कुहवा	
46-	राखुर कुहवा	
47-	राखुर कुहवा	
48-	राखुर कुहवा	
49-	राखुर कुहवा	
50-	राखुर कुहवा	
51-	राखुर कुहवा	


अनुसूची 31 से 40 की कुल 67


दिनांक: 21.5.2010


संख्या-- 203 / स्टाम्प लिपिक--का0दे0--मूल्यांकन सूची / 2010.

प्रतिलिपि-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-- सचिव, उ0प्र0 शासन, कर एवं संस्थानत (वस्तु अनुभाग--5, लखनऊ)।
- 2-- स्टाम्प आयुक्त / महानिरीक्षक निवन्धन, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 3-- अपर सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 4-- उप महानिरीक्षक निवन्धन, कानपुर मण्डल कानपुर।
- 5-- जिला निवन्धक, कानपुर देहात।
- 6-- सहायक स्टाम्प आयुक्त / सहायक महानिरीक्षक निवन्धन, कानपुर देहात।
- 7-- उप-जिलाधिकारी / तहसीलदार, अकबरपुर, जगदल कानपुर देहात।
- 8-- उप-निवन्धक, अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात।

  
(निवन्धक, कानपुर देहात)  
सहायक आयुक्त, कानपुर  
कानपुर देहात।

  
(सहायक आयुक्त)  
अपर जिलाधिकारी (00/00)  
कानपुर देहात।

  
(सहायक आयुक्त)  
अपर जिलाधिकारी,  
कानपुर देहात।

- 7- औद्योगिक भूमि क्रय करने पर निम्नांकित नियम क्रमांक क से छ तक लागू होंगे।
- क- सामान्य गांव में औद्योगिक भूमि क्रय करने पर भूमि की दर का डेढ़ गुना
- ख- परिशिष्ट 3 में लागू होने वाले गांवों में औद्योगिक भूमि क्रय करने पर भूमि की दर का दो गुना
- ग- परिशिष्ट 5 में लागू होने वाले गांवों में औद्योगिक भूमि क्रय करने पर भूमि की दर का छह गुना
- घ- परिशिष्ट 4 में लागू होने वाले गांवों में औद्योगिक भूमि क्रय करने पर भूमि की दर का छह गुना
- 8- परिशिष्ट 1 व टाउन एरिया में 0.051 हे० भूमि के हस्तांतरण होने पर यदि आवंती 200 मी० की त्रिज्या में है तो आवंतीय दर पर रजाम देव होगा। शेष सम्पूर्ण तहसील में 0.04 हे० तक 200 मी० की त्रिज्या में यदि आवंती है तो भूमि हस्तांतरण होने पर आवंतीय दर पर रजाम देव होगा।
- 9- आवंतीय/नगर आवंतीय/अर्ध-आवंतीय/औद्योगिक भूमि का निर्माण मूल्य आमतौर पर अल्प भवनों में अनुमानित मूल्य धारण जाएगा तथा निर्माण का मूल्य निर्माण के कुल शुद्ध मूल्य का 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा। शाल की गणना में अशाल का दैराफन्द को भी एक पृथक दल माना जायेगा तथा भवन के निर्माण की तिथि में 20 वर्ष तक कोई ह्रास मूल्य देव नहीं होगा तथा निर्माण की तिथि का प्रमाण, साक्ष्य / साक्ष्य-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा वास्तव्यार्थक वाणिज्यिक सम्पत्तियों का निर्माण मूल्य की गणना करने पर ह्रास लाभ देव नहीं होगा अर्थात् ह्रास मूल्य की गणना नहीं की जायेगी और मूल्य प्रति वर्गमीटर किराये की दर के अनुसार आंकित किया जायेगा।
- 10- जिलाधिकारी की मूल्यांकन सूची में न्यूनतम दर निर्धारित की गई है यदि किसी विशेष क्षेत्र की बाजारी मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य की न्यूनतम दरों से अधिक है तो तदनुसार बाजारी मूल्य पर ही निश्चित किया जायेगा
- 11- यदि इस सूची में किसी भूमि के बावत कोई अन्य दर की निर्धारण की गई है तो अधिकतम वाली दर लागू होगी।
- 12- ह्रास मूल्य की गणना इस प्रकार की जायेगी--

$$\text{भवन मूल्य} \times \text{निर्माण का मूल्य} \times \text{भवन की आयु} \times 9$$

$$\text{भवन की अनुमानित आयु} \times 10$$

*Best*

*[Signature]*

निर्मित फ़ैक्ट्री का विक्रय होता है तो फ़ैक्ट्री की रिक्त भूमि के मूल्यांकन हेतु प्रति वर्ग मीटर दरें निम्नवत् लागू होंगी :-  
प्रति वर्ग मीटर (ऊपर में)

1. जिला मुख्यालय भागी के निकटवर्ती भागों की दरें	750
राष्ट्रीय राजमार्ग दरें:-	
क- राष्ट्रीय राजमार्ग पर सायपुर पुल से	750
ख- जयपुर-कोट मॉस्ट्रु से	650
ग- राष्ट्रीय राजमार्ग प्रान्त अकबरपुर की	550
3- सन्तान्य ग्राम	560
4- विशिष्ट ग्राम	600
5- औद्योगिक क्षेत्र में पड़ने वाले भागों (राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़कर)	650
6- प्रातिश्रील ग्रामों	650
7- उपरन एरिया में पड़ने वाली भूमि की दरें।	700
अ- अकबरपुर	600
ब- शिवली	600
ग- कता	650

टिप्पणी:-

- 1- परिसिस्टम 1 में निकटवर्ती भाग से सातपय 5 किलोमीटर की दूरी में भूमि से है।
- 2- योजना में कच्छी/पर्वती बड़क व राष्ट्रीय राजमार्ग का उल्लेख व चौहद्दी में करना आवश्यक होगा।
- 3- क्लेसपर में भूमि की प्रकृति कृषि / आवासीय लिखना अनिवार्य है।
- 4- विभागत में के का में निर्मित बिल्डिंग पर 3050 राज्यभरत की अनुमति के उपरान्त स्टाम्प अधिनियम में प्रदत्त छूट के प्राविधान लागू होंगे।
- 5- भूमि भूमि के विक्रय के क्रयमूल्य में 200 मीटर विज्या के नगरे एवं आवासीय सम्पत्ति के विक्रय में चौहद्दी के 50 मीटर विज्या का नक्शा दाखिल करना अनिवार्य होगा।

निर्माण की दरें (सम्पूर्ण तहसील):-

रेट लिस्ट का विवरण	भूमि के प्रकार	निर्धारित दरें (रुपये में)
1- निर्माण की दरें दुकान को छोड़कर	1-RCC-	6000 प्रति वर्ग मीटर
	2-RBC-	5400 प्रति वर्ग मीटर
	3- Tin shed, Asbestos, Dhanni.	3600 प्रति वर्ग मीटर

1- निर्मित वाणिज्यिक-व्यवसायिक किराये की दरें (प्रति भात)	1- राष्ट्रीय राजमार्ग व नगर पंचायत अन्तर्गत अकबरपुर, रूरा, शिवली किराये शर्तों पर	75.00 प्रति वर्ग मीटर
	2- उपरोक्त के अतिरिक्त दरें।	60.00 प्रति वर्ग मीटर
	3- सामान्य प्रांग की दरें-	50.00 प्रति वर्ग मीटर

4- सम्पूर्ण तहसील में मिट्टी की खनन दरें

30 रुपये प्रति घन मीटर

*Handwritten signature*

परिशिष्ट -4

औद्योगिक क्षेत्र में परतने वाले श्रमों की सूची-

- 1- उजरन
- 2-किशरवल
- 3-खानाबन्दपुर
- 4-चिरोरा
- 5-परिन्दपुर भाट
- 6-फलेहपुर रोशनई
- 7-बाया
- 8-विसावकपुर
- 9-मुबारकपुर ताटा
- 10-रुनियां
- 11-रायपुर कुकहट
- 12-तोदीपुर
- 13-शेरपुर तसौदा
- 14-धनजुवां

परिशिष्ट -5

तराईम के प्रागैकील श्रमों की सूची-

- 1-अखरपुर
- 2-बाटापुर
- 3-रुना
- 4-भटौली
- 5-करवा ऐमा
- 6-भरगई
- 7-तापगीवनपुर
- 8-दरवापुर
- 9-बलिहारा
- 10-वलभदापुर
- 11-मालिक भहामदपुर
- 12-रहनियापुर
- 13-मुजफरगाव खरका
- 14-तदका
- 15-संभरखेडा
- 16-मोन्नेर
- 17-कपालपुर
- 18-जमालपुर
- 19-वायपुर
- 20-मोझना-2 (रतवे लाइन के पूरा तरक)

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

विशिष्ट ग्रामों की सूची

परिशिष्ट - 3

1-आवरपुर	4-खोखा	निरमलपुर	13-गन्नादासपुर	मन्सुरा	शोभन
असन्दा	5-गदनपुर	नाही खुनिया	बसेरा	गुरीदपुर	सहवापुर
असेनी	गुजराई	नरसेनी	नरसेनी	मंडौली	संखुपुर
अहिरानो	महोलेया	9-तितुरामऊ	रंगी धरियाम	भरवारपुर	शेखुपुर
अन्दायां		सोडामाहमदपुर	कैसी सवाई	मंगोलपुर	सहनी खंडा
			गिगाई	नलिकपुर	संखुहरनासी
			बघवट		
2-इकपया	गैरूमऊ	ताहरपुर मौदू	खिवाइन	मिरापुर	शिवती (शिशुमन, निरमल, निरमल, विशुवियाना, विशुवियाना, टाकन.) संखुपुर
3-कुर्वाखुर्द	गौरियापुर	गिगाई	गुडिया	16-शोभनमऊ	19-हरसनापुर
कईत मन्दिर	गारव	तिलसोनी	14-भोलापुर	शरवापुर	
कुम्भी	गहलोती	10-दरगावां	भिरवापुर	17-लालपुर	
कसौया	गुदई	11-धनीसमपुर	15-माला	लालपुर अकबरपुर	
कुकाठी	6-बिलरिया इखलासपुर	टोडरपुर	शैया	लदमणपुर	
किशनपुर	चकटोडरपुर	12-पुर	गाण्डा	लौहासी	
कशियावां	7-जगनपुर	पूरसोनी	मोहम्मदपुर	18-सुनावरा	
कभालपुर	जगदीशपुर	पलाठी	मुलामपुर	सज्जलअलीपुर	
कभीर	ज्योतिष	प्रतापपुर	मुस्ताफाबाद	शरवातया गिगाई	
कुइवा	जिनदौसा	प्रतापपुर खास	मसोधा	सरसी	
कभारदही	8-नौरगाबाद	प्रतापपुर उदैत	मुसाहिबपुर	सुमेरपुर	
ककरमऊ	नरिडा	प्रतापपुर नाला	मुखलिसपुर	शरवातया नरिडा	
	निवाली बुर्ग	पतरा टप्पा मंडौली			
	नरमनपुर मंडौली				

परिशिष्ट -1  
(मुख्यालय ग्रामी कृषिज्ञानपुर, सं. पांच जिल्लोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों की सूची)।

- 1-आलमचन्दपुर
- 2-सजावलपुर
- 3-टकटांली
- 4-संरऊ
- 5-महली कृषिज्ञानपुर
- 6-पातपुर
- 7-गडरपुर तसददुकअलीपुर
- 8-भुगनियापुर
- 9-अलातपुर-नागिन
- 10-सीधामऊ
- 11-नागिन जमी
- 12-अनपुर
- 13-खलपुर
- 14-बनारअलीपुर
- 15-कशियां
- 16-मौराना-1(रिलवे लाइन के पश्चिम तरफ)
- 17-आपुकनातपुर
- 18-अकबरपुर
- 19-विगाही
- 20-लातपुर
- 21-पुरीदपुर
- 22-कटरा एगा
- 23-नरिहा
- 24-मुजफ्फरपुर सरकार

परिशिष्ट -2  
राष्ट्रीय राजमार्ग पर रायपुर पुल से बाराबोड़ मंथर होते हुए सेगुर नदी क पुल तक राजमार्ग पर बहने वाले ग्रामों की सूची।

- 1-रायपुर कुकरहा
- 2-फतेहपुर रोषाबंद
- 3-दिलोरा
- 4-मुबारकपुर ताटा
- 5-विसायकपुर
- 6-सिनियां
- 7-उमरन
- 8-खानचन्दपुर
- 9-बारा
- 10-बनारअलीपुर
- 11-आपुकनातपुर
- 12-अकबरपुर
- 13-बादापुर
- 14-कुभालपुर
- 15-गाहमदापुर मंथर
- 16-कुईत मंदिर
- 17-गोरियापुर
- 18-कुम्भी

*h. r. d.*

*h. r. d.*

की गणना 6 मीटर तक की जायेगी

<p>3- गारव, माण्डा, मारग, तिगाई, परसौली, नरिहा, मुक्तापुर, बरौला, सरला टप्पा में दरें। नोट:- पक्की सड़कों पर सड़क के मध्य से दूरी की गणना 60 मीटर तक की जायेगी</p>	<p>2-उक्त के अतिरिक्त दरें 1-पक्की सड़कों के दोनों ओर 2-उक्त के अतिरिक्त दरें।</p>	<p>1500 प्रति वर्ग मीटर 1500 प्रति वर्ग मीटर 1400 प्रति वर्ग मीटर</p>
<p>4- तहसील में स्थित सामान्य ग्रामों में दरें। नोट:- पक्की सड़कों पर सड़क के मध्य से दूरी की गणना 60 मीटर तक की जायेगी</p>	<p>1-पक्की सड़कों के दोनों ओर 2-उक्त के अतिरिक्त दरें।</p>	<p>1200 प्रति वर्ग मीटर 1000 प्रति वर्ग मीटर</p>
<p>5- जिला मुख्यालय माली, किशुनपुर, कानपुर देहात के निकटवर्ती ग्रामों में दरें। नोट:- राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूरी की गणना सड़क के मध्य से 70 मीटर व अन्य पक्की सड़कों पर 60मीटर तक की जायेगी सम्पूर्ण त्रिकोण में उक्त दरें लागू होंगी।</p>	<p>रेट लिस्ट का विवरण 1-राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क के दोनों ओर 2-पक्की सड़कों के दोनों ओर 3-उक्त के अतिरिक्त दरें।</p>	<p>नियमित दरें (लघुधर्म में) 2700 प्रति वर्ग मीटर 2100 प्रति वर्ग मीटर 1700 प्रति वर्ग मीटर</p>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

परिशिष्ट 2 एवं गाजन शेरपुर तराई, किरावरल, परिसरपुर भोट, लोदीपुर, धनुवा, बादापुर पर लागू (राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूरी की गणना सड़क के मध्य से 70 मीटर व अन्य सड़को पर 60 मीटर की जायेगी।)	1- राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क के दोनों ओर	2700 प्रति वर्ग मीटर
	2- अन्य पक्की सड़को के दोनों ओर	1900 प्रति वर्ग मीटर
	3- उक्त के अतिरिक्त	1500 प्रति वर्ग मीटर
प्रातिशील ग्राम परिशिष्ट-5 पर लागू नोट:- (राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूरी की गणना सड़क के मध्य से 70 मीटर व अन्य सड़को पर 60 मीटर की जायेगी।)	1- राष्ट्रीय राजमार्ग पर यदि कोई सड़क हो	2000 प्रति वर्ग मीटर
	2- पक्की सड़को के दोनों ओर	1700 प्रति वर्ग मीटर
	3- उक्त के अतिरिक्त	1500 प्रति वर्ग मीटर
विशिष्ट ग्राम परिशिष्ट-3 पर लागू नोट:- पक्की सड़को पर सड़क के मध्य से दूरी की गणना 60 मीटर तक की जायेगी	1- पक्की सड़को के दोनों ओर	1600 प्रति वर्ग मीटर
	2- उक्त के अतिरिक्त	1400 प्रति वर्ग मीटर

2- भटौली, गुटहा, में रूरा क्रमांक-2 क व ख को छोड़कर नोट:- पक्की सड़को पर सड़क के मध्य से	सेट लिस्ट का विवरण	निर्धारित दर (ऊपर से)
	1- पक्की सड़को के दोनों ओर	1700 प्रति वर्ग मीटर

5400  
2500  
2900

645000

26/60  
19135  
45255

19/08/2022

स्ट्रीट लिस्ट का विवरण		निर्धारित दर (रुपय में)
3- शिवली नोट- पक्की सड़कों पर सड़क के किनारे से दूरी की गणना 60 मीटर तक की जाएगी।	क-वेला विद्युत रोड पर विद्युत सब स्टेशन से निरकारी भवन तक सड़क के दोनों ओर	2400 प्रति वर्ग मीटर
	द- निरकारी भवन से पुरोजेक्ट बना देना, रुक जायदादा तक सड़क के दोनों ओर	2200 प्रति वर्ग मीटर
	ग- शिवली कल्याणपुर पर रोड पर शिवली गंगारहे से जुनिपर हाईस्कूल के छपड़ने तक सड़क के दोनों ओर वेला विद्युत कल्याणपुर मार्ग से टाउन परिषद कार्यालय तक सड़क के दोनों ओर	2100 प्रति वर्ग मीटर
	घ- उभर सड़कों के अतिरिक्त अन्य सड़कों के दोनों ओर दरें।	1800 प्रति वर्ग मीटर
	ड- उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य हेतु दरें।	1600 प्रति वर्ग मीटर

*bbank*

*Signature*

<p>2- सरा नोट- एककी सड़को पर सड़क के किनारे से दूरी की गणना 60 मीटर तक की जायेगी।</p>	<p>क- इटावा जिला (स. क्रोसिंग)की पटरी से शीशक शिवली मार्ग(नहर पुल)तक इटावा ब्रान्च (रिवर क्रोसिंग) की पटरी से भवडी सर्वादि की बरवी तक / अकबरपुर-इटापुर क्रोसिंग से किरानपुर की सीमा तक रोड के दोनों ओर इटावा ब्रान्च(रिवर क्रोसिंग)की पटरी से स्टेशन रोड (स्टेशन तक)</p> <p>ख- नहर पुल से शिवली रोड पर आम के दान तक रोड के दोनों ओर नहर पुल से शीशक मार्ग पर बरवा की मन्दिर तक सड़क के दक्षिण ओर नहर पुल-शिवली मार्ग से बनीपारा रोड पर धारजा पुलिस तक रोड के दोनों ओर</p> <p>ग- उकल के आसपास अन्य सड़कों पर सड़क के दोनों ओर</p> <p>घ- उकल सड़क के अतिरिक्त दूर।</p>	<p>1700 प्रति वर्ग मीटर</p> <p>2400 प्रति वर्ग मीटर</p> <p>2100 प्रति वर्ग मीटर</p> <p>1800 प्रति वर्ग मीटर</p> <p>1700 प्रति वर्ग मीटर</p>
---	--	---

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

1- आवासीय भूमि के हस्तान्तरण में दो रास्ते होने पर सामान्य से 15 प्रतिशत अतिरिक्त दर पर स्टाफ देय होगा।

रेट लिस्ट का विवरण	प्रस्तावित दर (रूपये में)
1- अकबरपुर नोट- राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूरी की जमाया रास्ता के भाग से 70 मीटर अन्य परकी सड़कों पर 50 मीटर तक की जायगी।	
क- औरंगा कानपुर रोड पर कोतवाली अकबरपुर से माली तिसाहा तक तथा अकबरपुर चौसाह से माली रोड पर राजारव कालोनी बन्ना तक सड़क के किनारे माली तिसाहा	3200 प्रति वर्ग मीटर
ख- कानपुर औरंगा रोड पर कोतवाली से आगे (औरंगा की तरफ) ग्राम अकबरपुर की सीमा तक तथा कानपुर औरंगा रोड पर राजवाहा बन्ना से आगे अकबरपुर डिग्री कालोनी तक सड़क के किनारे	2800 प्रति वर्ग मीटर
ग- माली रोड चौसाहा से अकबरपुर इण्टर कालोनी से राधान सहकारी समिति कार्यालय तक	2400 प्रति वर्ग मीटर
घ- बाढ़ापुर रोड से कासिंग से मरिजद तक सड़क के दोनों ओर	2200 प्रति वर्ग मीटर
ड, राष्ट्रीय राजमार्ग से पावर हाउस होते हुये बजरिया से पुरानी तहसील रोड तक पुरानी तहसील से रुस -कानपुर -माली -अकबरपुर क्रॉसिंग तक, रुस क्रॉसिंग से कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग तक, बजरिया से बाढ़ापुर -रोड तक	2800 प्रति वर्ग मीटर
च- उक्त के अतिरिक्त अन्य डामर रोड	2000 प्रति वर्ग मीटर
छ- खड्डाणा पर सड़क के दोनों ओर।	1800 प्रति वर्ग मीटर

1/1/2023

Signature

क्र० संख्या	सेट लिस्ट का विवरण	भूमि के प्रकार	नियमित दरें (रुपये में)
क्रमांक-छ	राजन एरिया में पडने वाली भूमि की दरें 0		
	1- अकबरपुर	राजक के किनारे उपल के अतिरिक्त	2000000.00 प्रति एकड़ 1600000.00 प्रति एकड़
	2-रूरा	राजक के किनारे उपल के अतिरिक्त	1200000.00 प्रति एकड़ 800000.00 प्रति एकड़
	3-शिवली	राजक के किनारे उपल के अतिरिक्त	1000000.00 प्रति एकड़ 750000.00 प्रति एकड़

*Board*

*Group*

क्र० संख्या	सेट लिस्ट का विवरण	भूमि के प्रकार	निश्चित दरे (रूपये में)
क्रमांक-1	परिशिष्ट-4) में पड़ने वाले ग्रामों में राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़कर भूमि की दरे।	सड़क के किनारे	800000.00 प्रति एकड़
		उक्त के अतिरिक्त	700000.00 प्रति एकड़
क्रमांक-2	प्राथमिकील ग्रामों में भूमि की दरे। (परिशिष्ट 5)	सड़क के किनारे	550000.00 प्रति एकड़
		उक्त के अतिरिक्त	425000.00 प्रति एकड़
क्रमांक-3	परिशिष्ट ग्रामों में भूमि की दरे- (परिशिष्ट 3)	सड़क के किनारे	500000.00 प्रति एकड़
		उक्त के अतिरिक्त	400000.00 प्रति एकड़
क्रमांक-4	सामान्य ग्रामों में भूमि की दरे-	सड़क के किनारे	400000.00 प्रति एकड़
		उक्त के अतिरिक्त	325000.00 प्रति एकड़ ✓

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दरें- (परिशिष्ट-2 राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे के ग्रामों की सूची) सड़क के किनारे 500 मीटर (पाटाओं तक)

क्रमांक-ख	सेट लिस्ट का विवरण	निश्चित दरें (रुपये में)
1	राष्ट्रीय राजमार्ग पर रायपुर पुल से बाराजोड मन्दिर तक सड़क के दोनों ओर पड़ने वाले आराजी नम्बरों की दरें।	2200000.00 प्रति एकड़
2	बास जोड मन्दिर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजवाहा बन्वा तक परिवाम पट्टी में तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजवाहा बन्वा से अकबरपुर राजरव ग्राम की सीमा तक सड़क के दोनों ओर आराजी नम्बरों की दरें।	2100000.00 प्रति एकड़
3	राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजरव ग्राम अकबरपुर की सीमा के पश्चात कृषि भूमि की दरें सेंगुर नदी तक राजमार्ग के किनारे दोनों ओर आराजी नम्बरों की दरें-	1500000.00 प्रति एकड़

*Hand*

*Hand*

10/10/2014

सूल्थाकन सूची तहसील अकबरपुर कानपुर देहात ।

उ० प्र० स्टाम्प (सम्पत्ति सूल्थाकन ) नियमावली 1997 के यथा संशोधित नियम 4(1) के अन्तर्गत तहसील अकबरपुर जनपद कानपुर देहात के लिये द्विवार्षिक सूल्थाकन कृषि भूमि / आवासीय / औद्योगिक / गैर आवासीय / अर्द्ध आवासीय / भवनों के निर्माण मूल्य हेतु दरें तथा व्यवसायिक भवनों के किराये की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं। जो दिनांक 01-06-2010 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगी।

1- जिला मुख्यालय भाती किशनपुर कानपुर देहात के निकटवर्ती ग्रामों में भूमि की दरें। (परिशिष्ट-1) पर लागू

क्रमांक	रेंट लिस्ट का विवरण	भूमि के प्रकार	निर्धारित दरें (रुपये में)
1-	जिला मुख्यालय भाती किशनपुर कानपुर देहात के निकटवर्ती ग्रामों में सड़क किनारे गाटा संख्याओं में कृषि भूमि की दरें नोट:- उक्त दरें सम्पूर्ण त्रिकोण (बारा जोड़ मन्दिर से अकबरपुर चौराहे से भाती चौराहा रोड से बारा जोड़ मन्दिर तक) में भी लागू होंगी।	भूमि की दरें 1- सड़क के किनारे 500 मीटर तक स्थित गाटाओं पर दरें 2- तत्पश्चात दरें	21000.00.00 प्रति एकड़ 16,000000.00 प्रति एकड़

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
 जिला अधिकारी  
 कानपुर देहात

09150537500